न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4339–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–12–2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला हरदा स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 37/अ–6/2011–12.

1– बद्रीप्रसाद आत्मज घासीराम
निवासी एवं कृषक ग्राम धनबाड़ा
तहसील खिरकिया जिला हरदा
2– जगराम आत्मज कालूराम
निवासी ग्राम धनबाड़ा
हाल निवासी ग्राम बुरछा बुर्जुग
तहसील खातेगांव जिला देवास .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– मोहन सिंह आत्मज रघुनाथ
2– चैनसिंह आत्मज रघुनाथ
3– नर्मदाप्रसाद आत्मज रघुनाथ
निवासीगण ग्राम धनबाड़ा
तहसील खिरकिया जिला हरदा .....अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/10/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला हरदा द्वारा पारित आदेश 5–12–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, खिरकिया के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खरड़ एवं सारंगपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 13 रकबा 8.58 एकड़ एवं खसरा क्रमांक 35/2 रकबा 3.66 एकड़ कुल रकबा 12.24 एकड़ अनावेदकगण के पिता के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है, जिस पर पिता की मृत्यु उपरांत आवेदकगण द्वारा बलपूर्वक अवैध कब्जा कर लिया गया है । आवेदकगण के आतंक एवं भय के कारण अनावेदकगण तत्समय नामांतरण नहीं करा सके । अतः वादग्रस्त भूमि पर आवेदकगण का कब्जा हटाया जाये एवं उनका नामांतरण किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/अ–6/2010–11 दर्ज कर दिनांक 25–7–11 को आदेश पारित कर अनावेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तदोपरान्त अनावेदकगण द्वारा कलेक्टर, हरदा को जनसुनवाई में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर तहसीलदार के उक्त आदेश को पुनरीक्षण में लिये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 37/अ–6/11–12 दर्ज कर दिनांक 5–12–2012 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 25–7–11 निरस्त किया किया गया । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण की ओर से सूचना उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं :–

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को विधिवत साक्ष्य का अवसर नहीं देकर गुण–दोष के आधार पर आदेश पारित करने में गंभीर भूल की गई है ।

(2) तहसील न्यायालय के समक्ष उभय पक्ष के मध्य आपसी राजीनामा व्यवहार न्यायालय का प्रस्तुत करने एवं कथनों की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश करने पर विश्वास नहीं कर तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में व्यवहार न्यायालय के आदेश की उपेक्षा की गई है।

(3) वादग्रस्त भूमि दिनांक 31–5–57 को क्रय करना बताया है, किन्तु अनावेदकगण द्वारा राजस्व अभिलेखों में नामांतरण क्यों नहीं कराया, इस संबंध में कोई संतोषजनक साक्ष्य अथवा कथन अपने आवेदन पत्र में नहीं दर्शाये गये हैं ।

(4) अनावेदकगण अपने आवेदन पत्र में यह स्वीकार कर रहे हैं कि 12.24 एकड़ पर आवेदकगण का कब्जा चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में उभय पक्ष के मध्य कब्जे एवं स्वत्व का गंभीर प्रश्न निहित होने के कारण अपर कलेक्टर को प्रकरण निगरानी में लेने की अधिकारिता विधि द्वारा प्रदान नहीं की गई है ।

(5) अपर कलेक्टर के न्यायालय में उभय पक्षों की कोई भी साक्ष्य नहीं हुई है, और ना ही प्रकरण साक्ष्य के लिए कभी नियत किया गया है । इसी प्रकार तहसील न्यायालय में भी उभय पक्ष के साक्ष्य नहीं हुए हैं और अनावेदकगण द्वारा अपने प्रकरण को साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया गया है ।

(6) व्यवहार न्यायालय का आदेश उभयपक्षों सहित राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है । ऐसा अधिकारिता रहित आदेश पारित करने में अपर कलेक्टर द्वारा भूल की गई है, जो कि निरस्ती योग्य है ।

(7) विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 25–7–11 पूर्णतः विधि अनुकूल है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं होने के बाद भी अपर कलेक्टर द्वारा उक्त आदेश निरस्त करने में विधिक भूल की है ।

(8) एक बार प्रकरण दिनांक 21–6–2011 को निगरानी न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया था, उपरोक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील करना थी, जो नहीं कर कलेक्टर के समक्ष पुनः आवेदन दिया गया है, जिसे अपर कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी में लेकर विधिक भूल की है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निवेदन किया गया ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों पर विचार किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में उभय पक्ष के अतिरिक्त कालूराम आत्मज घासीराम, रामदीन आत्मज घासीराम, सागर विधवा रघुनाथ, जयराम आदि का उल्लेख किया गया है, परन्तु अपर कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही करने में सभी हितबद्ध पक्षकारों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी

नहीं किया गया है, और ना ही उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है । अपर कलेक्टर द्वारा वर्ष 1957 में निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण के नाम दर्ज किए जाने का आदेश दिया गया है । वर्ष 1957 में निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर वर्ष 2011 में नामांतरण की कार्यवाही की जाना संदेह उत्पन्न करती है । इसके अतिरिक्त खसरे में भी काटपीट की जाकर ओवरायटिंग की गई है, जो कि कूटरचित कार्यवाही को इंगित करती है । उपरोक्त तथ्यात्मक एवं वैधानिक स्थिति पर को देखते हुए इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अपर कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाये कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में हुई समस्त प्रविष्टियों को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर सभी हितबद्ध व्यक्तियों सहित उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण का विधि अनुसार निराकरण किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–12–2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही किए जाने हेतु अपर कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर